68

संख्या /IV(1)/03(न0वि0)2001

प्रेषक

डा0उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 12 सितम्बर अगस्त ,2012

विषयः–नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशनर्स के समान दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 127% (एक सौ सत्ताईस प्रतिशत) एवं दिनांक 01.01.2012 से 139% (एक सौ उनतालिस प्रतिशत) की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–893/श0वि0नि0/031/पें0अके0–ii/2001 दिनांक 22अगस्त, 2012 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स पेंशनरों को दिनांक 01.7.2011 से महॅगाई राहत की दर 127प्रतिशत तथा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 139प्रतिशत अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–16/XXVII(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी, 2012 द्वारा राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महॅगाई राहत दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 127प्रतिशत तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–155/xxvii (07)02/2012 दिनांक 13जून, 2012 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से मंहगाई राहत 139प्रतिशत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–155/xxvii (07)02/2012 दिनांक 13जून, 2012 के पृष्टांकन में यह उल्लेख किया गया है कि प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन निकाय /उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महॅगाई राहत अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

3– अतः वित्त विभाग के उक्त शासनादेशों के अनुक्रम में नगर निगम, देहरादून के अकेन्द्रीयित सेवा के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महॅगाई राहत की दर दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 127प्रतिशत (एक सौ सत्ताईस प्रतिशत) तथा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 139प्रतिशत (एक सौ उनतालिस प्रतिशत) स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

DAGO

4– जिन कर्मचारियों का दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है उन्हें पूर्व से राज्य सरकार के कर्मचारियों की भॉति महॅगाई भत्ता देय है। अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स की भॉति नगर निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को महॅगाई राहत अनुमन्य होगी तथा जिन पेंशनर्स की पेंशन पुनरीक्षित नहीं हुई है उन्हें पूर्व की दरों के आधार पर निर्गत शासनादेश के आधार पर अनुमन्य होगी।

4– उक्तानुसार दरों के संशोधन के फलस्वरूप धनराशि का वहन नगर निगम द्वारा स्वंय अपने वित्तीय स्रोतों से किया जायेगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

5– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप–155/xxvii (07)02/2012 दिनांक 13जून, 2012 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या 833 /IV(1)/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निज़ी सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0शहरी विकास मंत्रीजी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 7 उत्तराखण्ड देहरादून
9. वित्त (वे0आ0नि0स0)अनुभाग–7 उत्तराखण्ड देहरादून।
10. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

D.A.GO